आज हरिजन भाइयों की लाखों एकड़ जमीन साहुकार लोग पटवारी से मिलकर और रिश्वत देकर हड़प करके बैठे हैं। इसके लिये आपने ऋण परित्राण अधिनियम, 1969 बनाया है, जिसके अन्तर्गत हरिजनों की 11 साल तक और आदिवासियों की 15 साल तक, जितनी जमीनों की रजिस्ट्रीज हुई हैं, उनको निरस्त करने का प्रावधान है। लेकिन अगर इस अवधि को आजादी के समय तक बढ़ा दिया जाए, तो मुझे विश्वास है कि हरिजन-आदिवासी भाइयों की लाखों एकड़ जमीन उनको वापिस मिल सकती है।

इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भाई बहुत तादाद में यहां पर रोजी रोटी के लिये आते हैं और पंजाब तथा हरियाणा में उनको रख लिया जाता है। इस पर बैन लगना चाहिये और मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में सहायता कार्य खोल कर रहने के लिये प्रयत्साहित करना चाहिये। अगर राहत कार्य खोले जायें, तो हम उन मजदूरों को वापिस ले जा सकते हैं।

सभापति जी, केसतरां कांड की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह एक बड़ा ही हृदयविदारक कांड था। मैं इस कांड के सिलसिले में जानकारी हासिल करने के लिये तीन दिन तक वहां रहा और लोगों से इस बारे में पूछताछ की। वहां से मुझे जानकारी मिली कि रावत लोग रात को हरिजनों के खेतों को चरवाते थे। इसके लिये गंगा और जमुना ने विरोध किया। इसी प्रकार जुर्माने के रूप में वसूल की गई, सार्वजनिक राशि जो उनके पास जमा थी, उस राशि को भी स्कूल निर्माण के लिये उनसे मांगा गया। एक बैल जो दो हजार रुपये में गंगा पिता केदार ने उनको बेचा था, उस पैसे को भी रावत लोगों ने नहीं दिया। इस पर जब गंगा और जमुना ने जुबान खोली तो उसका परिणाम क्या हुआ, यह आप सब जानते हैं।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-EIGHT REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, I beg to present the Twenty-Eightth Report of the Business Advisory Committee.

Sir, the Committee has also recommended that the House may sit on Saturday, the 27th March, 1982, to conduct Government Busines.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 24, 1982/Chaitra 3, 1904 (Saka)

GMGIPMRND -SI—51 LS—